मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/**F- 6/1/4/0043/2025-Sec-2-10(FOR)** भोपाल, दिनांक **28-08-2025**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय: सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर बंदर पकडने से संबंधित शिकायतों के संबंध में।

विषयांर्गत बंदरों द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आमजन को घायल करने तथा घरों से भोजन सामग्री उठाने की घटनाएं प्रकाश में आई है। सी.एम.हेल्पलाईन के माध्यम से नागरिकों द्वारा बंदरों को पकड़ने संबंधी शिकायत दर्ज की जाती है।

पूर्व में वन विभाग द्वारा बंदरों को पकड़ने हेतु कार्यवाही की जाती है, किन्तु वर्ष **2022** में यथासंशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** में लाल मुह के बंदर को अधिनियम की अनुसूचियों से बाहर रखा गया है जिसके कारण वन विभाग को इन्हें पकड़ने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/नगर निगम के माध्यम से आतंक फैलाने वाले लाल मुह के बंदरों को पकड़ने हेतु कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके लिए अब वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य हेतु प्रशिक्षित संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।

अत: प्रदेश के जिन जिलों में लाल मुह के बंदर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं वहाँ इनको पकड़ने के लिए समस्त नगर निगम/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/प्रशिक्षित संस्था के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 28-08-2025
17:56:02

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/**F-6/1/4/0043/2025-Sec-2-10(FOR)** भोपाल, दिनांक **28-08-2025**

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी/क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान/प्रभारी अधिकारी अभयारण्य मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग